कार्यालयः राँची नगर निगम,राँची।

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०—834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः— 137/ बा०शा० / दिनांकः— 13/03/2023

बंदोबस्ती की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राँची नगर निगम नियंत्रणाधीन तालाव/जलाशय के रख—रखाव एवं मछली पालन हेतु तीन वर्षों के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक ....10/04/......2023 को अपराह्न 1:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी एवं दिनांक ....10/04/........2023 को अपराह्न 3:00 वजे प्राप्त निविदाओं का निष्पादन खुली डाक के द्वारा किया जायेगा एवं अधिकतम बोली वाले के साथ तालाव की बन्दोवस्ती की जायेगी। तालाबों की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित राशि एवं जमानत की राशि निम्नवत् है :—

क्रम० सं०	तालाब का नाम	बन्दोबस्ती की सुरक्षित राशि प्रतिवर्ष रू० में	जमानत की राशि (सुरक्षित राशि का 25%)
1	बनस तालाब	27500	6875
2	मधुकम तालाब	27500	6875
3	दिव्यायन तालाब	27500	6875
4	तेतर टोली तालाब	27500	6875
5	हातमा बस्ती	27500	6875
6	अरगोड़ा तालाब	55000	13750
7	कांके जलाशय (कांके डैम)	110000	27500

नोट —1. आवेदन पत्र दिनांक ....01/04/....2023 से ....06/04/....2023 तक किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 2.00 बजे तक 500/—रू० जमा कर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्त्ते निगम वेब—साईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

13/3/23

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

निविदा की शर्ते।

1. बन्दोबस्ती 03 वर्ष के लिए होगी। बन्दोबस्ती राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भुगतान करना होगा।
2. निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया जायेगा।
3. निविदा में भाग लेने के वाले इच्छुक निविदादाता को जमानत की राशि के रूप में तालाब के नाम के सामने उल्लेखित जमानत की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से देय) निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
4. संवेदक का सहकारिता/उप सहकारिता विभाग से निबंधन/प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
5. संवेदक का किसी प्रकार का कोई बकाया निगम कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय में नहीं है शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
6. स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा विस्थापितों के SHG को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. संवेदक को सरकारी संस्था मत्स्य/अर्ध सरकारी संस्था एवं निगम के द्वारा काली सूची/रद्द कि सूची में नहीं डाले जाने संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. संवेदक को पहचान के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST No. एवं जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
9. उच्चतम डाक की राशि में जमानत की राशि समायोजित नहीं की जायेगी।
10. डाक राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
12. एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः बन्दोबस्त किया जायेगा।
13. उच्चतम डाक वक्ता को मतस्य बीज की प्राप्ति का श्रोत से अवगत कराना होगा।
14. तालाब एवं इसके आस–पास क्षेत्रों में निर्मित संरचना का रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्ती/सहयोग समिति की होगी।
15. यह हर संभव प्रयास किया जायेगा कि तालाब प्रदुषित नहीं हो। प्रदुषित पाये जाने पर नगर आयुक्त को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
16. तलाब में आयोजित होने वाली पर्व–त्योहार का बाधित नहीं किया जाय।
17. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करनें का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

13/3/23

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर